


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:- एफ 15( )परावि/विधि/बी.पी.एल.कार्ड/निर्देश/2010/82 जयपुर,दिनांक:- 30/4/2010

— परिपत्र —


दिनांक 28.04.10 को मा० पंचायती राज मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्ष 2002 की बी.पी.एल.सूची तथा राज्य बी.पी.एल. परिवारों को कार्ड उपलब्ध कराने के बारे में कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर परिपत्र क्रमांक 805 दिनांक 29.04.10 प्रसारित किया जा चुका है एवं समस्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों को निर्देशों की पालना हेतु सूचित किया जा चुका है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रचार/प्रसार का कार्य नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाना है। तदनुसार प्रचार-प्रसार एवं खाद्य आपूर्ति का कार्य उक्त विभाग द्वारा अपने स्तर से किया जाना है।

  
शासन उप सचिव(विधि)

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्य मंत्री, राजस्थान, सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं वितरण विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
10. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की ग्राम पंचायत स्तर पर अक्षरतः पालना सुनिश्चित की जावे।

  
शासन उप सचिव(विधि)